

का पैरवी) ।

16 $\frac{03}{21}$

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज
के उपरान्त भी वकील प्रार्थी अनुपस्थित है।
वकील प्रार्थी द्वारा बावजूद अनेक अवसर
रजिठ तलवाना भी पेश नहीं किया है। आज
भी अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र अदम
हजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से
कम हो।

16.03.21

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोन (करौली)

